शान्ति देवी बनाम पुष्पादेवी

04-03-2024 प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की पत्रावली के गुणावगुण पर बहस सुनी गई। दौराने कार्यवाही प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10–02–2023 तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रामनाथ शर्मा द्वारा पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–09–2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92ए, 188, 207 एवं भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् द्वारा तहसीलदार, राजस्व लूणकरनसर को बतौर प्रतिवादी स्थापित किया गया था तथा बतौर प्रतिवादी दिनांक 18–01–2023 को जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया कि आराजीराज भूमि पर मालिकाना हक राजस्थान सरकार में निहित है इसलिए नियमानुसार प्रतिवादी द्वारा बेदखल किया जा सकता है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी को चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार जोकि स्वयं भू–धारक होता है, तथा जिसके स्वयं के द्वारा राज्य सरकार की और से न्यायालय के समक्ष पैरवी करते हुए राज्य के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, स्वयं को उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 27–01–2023 को प्राप्त होने पर तहसीलदार स्वयं द्वारा राज्य सरकार के विरूद्व वादी के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में आदेश दिनांक 27–01–2023 का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि तहसीलदार लूणकरनसर अपने कार्य के साथ–साथ उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के रिक्त पद का कार्य भी सम्पादित करेंगे। इस प्रकार तहसीलदार रामनाथ शर्मा के पास तहसीलदार के पद के साथ–साथ उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अतिरिक्त कार्य प्रभार था। उक्त अवधि को दरमियान ही तहसीलदार लूणकरनसर श्री रामनाथ शर्मा द्वारा वादी पुष्पादेवी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार दिनांक 10–02–2023 को घोषित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार स्वयं जोकि भूमि धारक होता है, तथा जिसके द्वारा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी (Record of Rights) में अंकित राजकीय भूमि की सुरक्षा का दायित्व होता है, के विपरीत जाकर व पत्रावली में राज्य पक्ष की तरफ से प्रस्तुत जवाब दावें में अंकित तथ्यों के विपरीत जाकर वादी के वादपत्र को विधि विरूद्व तरीके से व पद का दुरूपयोग करते हुए स्वीकार किया जाना पाया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार के कृत्य से यह स्पष्ट है कि राज्य पक्ष की प्रभावी पैरवी का अभाव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होने से कि तहसीलदार रामनाथ शर्मा जोकि स्वयं प्रकरण में बतौर प्रतिवादी भू–धारक राज्य पक्ष स्थापित थे, के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त होने पर आदेश पारित किया गया है। एक पक्षकार जो स्वयं वादपत्र में बतौर प्रतिवादी स्थापित है, स्वयं के द्वारा लिखित कथनों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से राज्य पक्ष के अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना ही आक्षेपित आदेश दिनांक 10–02–2023 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में राज्य पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा के समक्ष बतौर अपीलांट उपस्थित आये पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर